रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2015 दिनांक 03.12.2015
No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2015

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक
All PCsDA/CsDA
(र०ले०महानियंत्रक मेल सर्वर के द्वारा/Through CGDA Mail Server)

विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनवर्गीकरण/स्तरोन्नयन ।

Sub: Re-classification/Upgradation of Cities/Towns on the basis of Census-2011 for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees-reg.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 21.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/5/2014-E.II(B), जो कि रक्षा मंत्रालय (वित्त), र०ले०वि० समन्वय, की दिनांक 01.12.2015 की आईडी नोट संख्या 10(3)/C/2015(2962) के द्वारा प्राप्त, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है ।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, received under MOD (Fin), DAD Coord ID Note no. 10(3)/C/2015(2962) dated 01.12.2015 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

संलग्नक: यथोपरि

(अजय गोयल)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 ।
2. लेखा परीक्षा - 1, 2 एवं 4 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समंवय) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. ई.डी.पी. सेंटर (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क़्वायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता} ।

(अजय गोयल)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

सं. 2/5/2014-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्वर्गीकरण/स्तरोन्नयन।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में, इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' के रूप में वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न की गई थी। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए जनगणना - 2011 के आधार पर शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

2. राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए शहरों/कस्बों के वर्गीकरण से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, मकान किराए भत्ते के प्रयोजन हेतु शहरों/कस्बों को अब 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि इन आदेशों के अनुबंध में गणना की गई है।

3. 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कतिपय शहरों/कस्बों को इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का. ज्ञा. सं. 2(30)/97-ई.II(बी) के तहत मकान किराए भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके विद्यमान वर्गीकरण की तुलना में निचले वर्गीकरण में रखा गया था। तथापि, इन शहरों/कस्बों को उनके विद्यमान उच्चतर वर्गीकरण में बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, उसका पैरा 3 देखें, और दिनांक 16.03.2005 के का. ज्ञा. सं. 2(21)/ई.II(बी)/2004 और दिनांक 07.01.2009 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत इसे आगे बढ़ाया गया था। चूंकि, अन्य शहरों/कस्बों जिनका पिछला उच्चतर वर्गीकरण बनाए रखने की सुविधा दी गई थी, का इस दौरान स्तरोन्नयन हो गया और इस समय केवल दो शहर नामत: राजस्थान में अजमेर और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर को ही ऐसा संरक्षण प्राप्त है। जनगणना-2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर इन दो शहरों के भी स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का. ज्ञा. सं. 2(30)97-ई.II(बी) के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधान जिन्हें दिनांक 16.03.2005 और 07.01.2009 के का. ज्ञा. के तहत आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, वापस ले लिए गए हैं/समाप्त कर दिए गए हैं।

1

4. इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत केन्द्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव में तैनात कर्मचारियों को दिल्ली ('एक्स' श्रेणी शहर) की दरों पर, जालंधर छावनी के लिए जालंधर ('वाई' श्रेणी शहर) की दरों पर तथा शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए 'वाई' श्रेणी शहर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रखने और इस विभाग के दिनांक 04.03.2011 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी शहर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने की अनुमति के विशेष आदेश, सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किए जाने तक लागू रहेंगे।

5. ये आदेश **1 अप्रैल, 2015** से प्रभावी होंगे।

6. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र बल कर्मियों और रेल कर्मचारियों के संबंध में क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(सुभाष चन्द)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।